| नम्बर सिलसिला व तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.6.22 | पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 12.7.22 को पेश हो। | |
| 12/7/22 | पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 29/8/22 को पेश हो। | |
| 16/9/2022 | पत्रावली वकील वादीनी के प्रार्थना-पत्र पर तलब की गई। वकील वादीनी की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते-वादपत्र विड्रो करने बाबत पेश की गई, जो शामिल मिसल हो। वकील वादीनी ने निवेदन किया कि वादीनी की ओर से खेत वादीनी खसरा नम्बर 388 रकबा 8.08 बीघा ग्राम थोरला व खेत खसरा नम्बर 504 रकबा 6.07 बीघा ग्राम बालोतरा कुल रकबा 14.15 बीघा भूमि ... 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित | (वकील वादीनी) |

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:12:38 IST
Reason: SelfAttested

159/2005

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज |
|---|---|
| | करवाने व जातिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का वादपत्र उक्त प्रकरण को दिनांक 20.1.2005 को मेरे पुत्रान, पुत्र वधु व पौत्रगण के विरुद्ध नश्वर सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर मेरे ही परिवारजन के विरुद्ध पेश किया था कि वादीनी करीब 90 वर्षीय अत्याधिक वृद्धा व असहाय औरत होने के कारण व चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण अब वादपत्र चलाने नहीं चाहती है। इस कारण वादीनी को अब न तो वादपत्र की आगे रखवाली की चाह है, न ही वर्तमान रखवाले को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दखलदाजी की। इस कारण वादीनी अपना वादपत्र आगे नहीं चलाना चाहती है अतः वादीनी का प्रार्थना - पत्र स्वीकार किया जाकर वादीनी का वाद पूर्ण रूप से विड्रो कर दिया जावे। |
| | सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा |

Signature Not Ve
Digitally signed by Na
Date: 2022.10.05 19:
Reason: SelfAttested

159/2005

| हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| हमने वकील वादिनी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। जिसमें पाया की वादिनी अपना वादपत्र आगे चलाना नहीं चाहती है, और वकील प्रतिवादी की ओर से no objection किया है, चूंकि स्वयं वादिनी अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है, ऐसी सूरत में प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है। लिहाजा वादिनी का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>(S.D.O.) बालोतरा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:12:38 IST
Reason: SelfAttested